के.पी. सुधाकरन व अन्य

बनाम

केरल राज्य व अन्य

मई 11, 2006

[बी.एन. श्रीकृष्णा एवं आर.वी. रवीन्द्रन, न्यायाधिपतिगण]

सेवा विधि

केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958-वरिष्ठता-एक जिले में भर्ती को उनके स्वयं के अनुरोध पर दूसरे जिले में एक ही पद पर स्थानांतरित किया जाता है, और उस जिले में उस पद पर कनिष्ठतम स्थानीय कर्मचारी से नीचे का पद लिया जाता है- हालाँकि, राज्य-वार अगले पद पर पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची, स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता उनकी पहली नियुक्ति के संदर्भ में दिखाई गई है, न कि उस जिले में उनके शामिल होने की तारीखों के संदर्भ में, जहां उनका स्थानांतरण हुआ था - उच्च न्यायालय ने नियम 27 के प्रावधान के मद्देनजर स्थानांतरित कर्मचारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए यह कहा। कर्मचारी की गणना उस जिले में उनके शामिल होने की तारीख से की जानी थी जहां उनका स्थानांतरण किया गया था, लेकिन आगे निर्देश दिया गया कि उपरोक्त प्रावधान को संभावित रूप से लागू किया जाएगा और

वरिष्ठता सूची के संदर्भ में की गई पदोन्नति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा - नियम के प्रावधान की वैधता को रोक दिया गया है। 27(ए) यह प्रावधान करता है कि अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता नए विभाग में उसके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के संदर्भ में निर्धारित की जानी थी, लागू किया गया और यह सामान्य नियम का अपवाद था कि वरिष्ठता उसकी पहली नियुक्ति तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी थी। नियुक्ति- नियम 27(सी) का प्रभाव केवल उस तारीख को स्पष्ट करना था जिसके संदर्भ में वरिष्ठता की गणना की जानी चाहिए। जब प्रारंभिक नियुक्ति पीएससी की सलाह पर थी और इसका नियम 27(ए) के प्रावधान के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उच्च न्यायालय के पास उस नियम को निर्देशित करने की कोई शक्ति नहीं थी जो कई वर्षों से लागू है। केवल आगामी रूप से संचालित किया जाएगा, वह भी ऐसी कार्यवाही में जहां नियम की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी - हालांकि मामला लंबे समय से लगातार न्यायालय के विचारण में था, कर्मचारियों के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है - धारा 3, केरल लोक सेवा अधिनियम, 1968

- अनुच्छेद 309, भारत का संविधान, 1950.

प्रशासनिक कानून- क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम- पूर्व में जारी निर्देश ऐसे मामले में लागू नहीं होते हैं।

विधि का निर्वचन - वैधानिक नियम के अपवाद - किसी प्रावधान के पीछे की मंशा का उपयोग प्रावधान के स्पष्ट शब्दों को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है - एक बार वैधानिक नियम बन जाने के बाद, कोई अपवाद प्रदान किए बिना, ऐसे नियम में अपवाद बनाना संभव नहीं है। न्यायिक व्याख्या--- न ही कठिनाई या इसी तरह के कारणों के आधार पर स्पष्ट और विशिष्ट नियम के आवेदन से छूट का दावा किया जा सकता है।

न्याय का प्रशासन --- लंबे समय तक मुकदमे के अधीन रहने वाला मामला-निपटान में देरी से पक्षकारों के अधिकारों को विफल नहीं किया जा सकता।

अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थीगण को राज्य के पंजीकरण विभाग में कनिष्ठ लिपिक (एलडीसी) के रूप में भर्ती किया गया था। पूर्व वाले को जिला एक्स में भर्ती किया गया था और बाद वाले को अन्य विभिन्न जिलों में भर्ती किया गया था, उनके स्वयं के अनुरोध पर जिला एक्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। स्थानांतरण पर उस जिले के सबसे कनिष्ठतम कनिष्ठ लिपिक के नीचे लिया गया। हालाँकि, अपर डिवीजन क्लर्क (यूडीसी) के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से तैयार की गई राज्य-वार वरिष्ठता सूची में, स्थानांतरित एलडीसी की वरिष्ठता एलडीसी के रूप में उनकी पहली नियुक्ति की तारीखों के संदर्भ में दिखाई गई थी, न कि संदर्भ

में। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें स्थानीय एलडीसी से पहले भर्ती किया गया था, उस जिले में उनके शामिल होने की तारीखें जहां उनका स्थानांतरण किया गया था। उसी के संबंध में आपत्तियों पर विचार करने पर, एलडीसी की एक संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसमें स्थानांतरित एलडीसी के पदों को उनके पुराने जिले में तब तक प्रदान की गई सेवा को छोड़कर, नए जिले में शामिल होने की तारीख के संदर्भ में दिखाया गया था। स्थानांतरित एलडीसी ने इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, जिसमें दिनांक 2.1.1961 के जी.ओ. और केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 के नियम 27 को ध्यान में रखते हुए कहा गया कि स्थानांतरित एलडीसी की वरिष्ठता की गणना केवल उसी तिथि से की जाएगी। उनके उस जिले में कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में जहां उन्हें उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किया गया था। हालाँकि, यह निर्देशित किया गया था कि स्थानांतरित एलडीसी की स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए और नियमों के नियम 27(ए) के प्रावधानों को संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए, और वरिष्ठता सूची के संदर्भ में की गई पदोन्नति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने प्रासंगिक नियमों और सरकारी आदेशों (जीओ) के अनुसार कानूनी स्थिति को स्वीकार कर

लिया है, उसके पास यह निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है कि उन्हें आगामी रूप से लागू किया जाए।

प्रत्यर्थीगण ने तर्क दिया कि (1) हालांकि एलडीसी के पद जिले-वार हैं, यूडीसी में उनकी पदोन्नति राज्य-वार है, जीओ दिनांक 2.1.1961 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जी.ओ. के प्रावधान (iv) दिनांक 27.5.1971, (2) नियम 27(ए) को समाप्त करने का प्रावधान बहिष्करण खंड(ई) के मद्देनजर लागू नहीं था, और इसलिए भी कि जहां पदोन्नति पद राज्यवार है, उस जिले में मौजूदा कर्मचारियों की वरिष्ठता पर बाहरी कर्मचारी का स्थानांतरण हो जाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, (3) कार्यवाही के पक्षकारों के समस्त अग्रिम पदोन्नति के अवसरों को लम्बे समय तक लंबित नहीं छोड़ना चाहिए।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1. नियम 27(ए) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एक ही विभाग के भीतर या किसी अन्य विभाग में अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता उसके नये विभाग में ड्यूटी में शामिल होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। परंतु सामान्य नियम (नियम 27 के खंड (ए) में निहित) का अपवाद है कि किसी व्यक्ति की वरिष्ठता उसकी पहली नियुक्ति के आदेश की तारीख से निर्धारित की जाएगी। [301-जी-एच, 302-ए]

1.2. एलडीसी के रूप में नियुक्ति की तिथि के संदर्भ में प्रत्यर्थीगण अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ थे। लेकिन जिस तारीख को उन्हें नए जिले में स्थानांतरित किया गया था, उसके अनुसार वे अपीलकर्ताओं से कनिष्ठ बन जाएंगे। जब सेवा नियमों के नियम 27(ए) का प्रावधान लागू होता है, तो स्थानांतरित एलडीसी की वरिष्ठता की गणना केवल नई इकाई (या जिले) में उनकी ड्यूटी में शामिल होने की तारीख से की जाएगी और उनके अनुरोध पर स्थानान्तरण होने से वे सेवा की गणना स्थानानतरण की तारीख से पहले की सेवा से करने के हकदार नहीं हैं। [302-बी-सी]

1.3. यह जांचना अनावश्यक है कि क्या जी.ओ. दिनांक 27.5.1971 का खंड(iv) जी.ओ. दिनांक 2.1.1961 की प्रयोज्यता को बाहर करता है, क्योंकि न तो 27.5.1971 का जी.ओ. और न ही 2.1.1961 का जी.ओ. स्वयं के अनुरोध के स्थानांतरण के प्रभाव को नियंत्रित करता है। सेवा नियमों के नियम 27(ए) में संशोधन के बाद 'स्वयं अनुरोध स्थानान्तरण' के परिणामों के लिए एक प्रावधान पेश किया गया। जहां वैधानिक नियम क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, पूर्व कार्यकारी निर्देश लागू नहीं होते हैं।[302-ई-एफ]

2. नियम 27 के खंड (सी) को ध्यान से पढ़ने से ज्ञात होता है कि इसने किसी भी तरह से जी.ओ. दिनांक 13.1.1976 द्वारा संशोधन द्वारा जोड़े गए नियम 27 के खंड (ए) के परंतुक की सामग्री को प्रभावित नहीं किया।

खंड [सी] का प्रभाव उस तारीख को स्पष्ट करना है जिसके संदर्भ में पीएससी की सलाह पर शुरू में नियुक्त किए जाने पर वरिष्ठता की गणना की जानी चाहिए। इसका मतलब केवल यह है कि जहां नियुक्तियां पीएससी द्वारा प्रकाशित चयन सूची से होती हैं, उनकी वरिष्ठता पीएससी द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए दी गई पहली सलाह प्रभावी मानी/निर्धारित की जाएगी, न कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति की वास्तविक तिथि से। इसलिए (सी) का उस प्रावधान पर कोई प्रभाव या अनुप्रयोग नहीं है जो बाद के 'स्वयं के अनुरोध' स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। [303-बी,ई-एफ]

3. किसी प्रावधान के पीछे की कथित मंशा, प्रावधान में व्यक्त शब्दों को विफल करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एक बार वैधानिक नियम बन जाने के बाद, अपवाद प्रदान किए बिना, न्यायिक व्याख्या द्वारा ऐसे नियम में अपवाद बनाना संभव नहीं है, न ही कठिनाई या इसी तरह के कारणों के आधार पर स्पष्ट और विशिष्ट नियम के आवेदन से छूट का दावा किया जा सकता है। नियमों के नियम 27(ए) का प्रावधान स्पष्ट है और स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किए गए सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। यह उन कर्मचारियों के बीच अंतर नहीं करता है जिनकी पदोन्नति राज्य-वार पद पर है और उन कर्मचारियों के बीच जहां पदोन्नति पद जिला-वार पद है। [304-ए-बी]

4. डिवीजन बेंच ने यह माना कि स्थानांतरित एलडीसी जिस जिले में स्थानांतरित किए गए थे, उस श्रेणी में सबसे कनिष्ठ से नीचे का रैंक लेंगे, यह नहीं कहा जा सकता था कि 7.11.1984 को तैयार की गई वरिष्ठता सूची में सुधार नहीं किया जाना चाहिए और इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। नियम 27(ए) को आगामी प्रभाव से लागू किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के पास यह निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है कि एक नियम जो कई वर्षों से लागू है, केवल भावी रूप से संचालित किया जाएगा, वह भी ऐसी कार्यवाही में जहां नियम की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी। [304-ई-एफ]

5.1. मामला 1990 से लगातार मुकदमेबाजी में है और निपटान में देरी अपीलकर्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। [304-सी-डी]

5.2. संशोधित वरिष्ठता सूची दिनांक 13.11.1990 एवं 22.9.1997 जिसके अंतर्गत स्थानांतरित एलडीसी की वरिष्ठता (अंतर-जिला स्थानांतरित) की गणना केवल उनके नए जिले में शामिल होने की तारीख से की जाती है, पिछली सेवा को छोड़कर, उचित है और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वरिष्ठता सूची दिनांक 13.11.1990 एवं 22.9.1997 को प्रभावशील किये जाने के फलस्वरूप स्थानान्तरित एल.डी.सी. उनके अहित के लिए परिवर्तन किया जाता है, तो अधिक भुगतान के आधार पर उनसे कोई परिणामी वसूली नहीं की जाएगी। [304-जी-एच, 305-बी-सी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : दीवानी अपील सं. 9527/2003

केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम की रिट अपील सं. 1178/1997 (सी) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 14.08.2002 से।

राजु रामचन्द्रन, वरिष्ठ अधिवक्तागण के साथ जी. प्रकाश, अधिवक्ता अपीलार्थीगण और प्रोफॉर्मा प्रत्यर्थीगण की ओर से।

के.आर. शशिप्रभु व रोमी चाको की ओर से सी.एस. राजन, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ ए. रघुनाथ, कार्तिकेय सिंह, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का आदेश रवीन्द्रन, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया

1. केरल उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.ए. नंबर 1178/1997, डब्ल्यू.ए. नंबर 1170/1997 और डब्ल्यू.ए. नंबर 1135/1997 में दिनांक 14.8.2002 के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा इन अपीलों में तथ्य और कानून के सामान्य प्रश्न शामिल हैं।

2. अपीलकर्ताओं और निजी प्रत्यर्थीगण को केरल राज्य के विभिन्न जिलों में पंजीकरण विभाग में लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) के रूप में भर्ती किया गया था। कैडर पदानुक्रम में, एलडीसी के लिए पदोन्नति पद अपर डिवीजन क्लर्क (संक्षेप में 'यूडीसी') का है। एलडीसी का पद जिलेवार पद है और यूडीसी का पद राज्यवार पद है। दूसरे शब्दों में, एलडीसी की

भर्ती के लिए इकाई जिला है, और यूडीसी की भर्ती के लिए इकाई संपूर्ण राज्य है। यूडीसी के पद पर पदोन्नति के लिए एलडीसी की राज्य-वार वरिष्ठता सूची बनाई जाती है।

3. अपीलकर्ताओं को जिला एक्स में एलडीसी के रूप में भर्ती किया गया था। प्रतिस्पर्धा करने वाले निजी प्रत्यर्थीगण को अन्य जिलों (जैसे, जिला वाई या जिला जेड) में एलडीसी के रूप में भर्ती किया गया था और उनके स्वयं के अनुरोध पर जिला एक्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। (सुविधा के लिए, अपीलकर्ताओं को 'स्थानीय एलडीसी' और निजी प्रत्यर्थीगण को 'स्थानांतरित एलडीसी' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।) स्थानांतरित एलडीसी को, 'स्वयं के अनुरोध स्थानांतरण' पर, जिले में सबसे कनिष्ठ स्थानीय एलडीसी से नीचे रैंक लेकर जिला एक्स में एलडीसी के रूप में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।

4. 7.11.1984 को, राज्य सरकार ने अगले उच्च पद (यूडीसी) पर पदोन्नति के उद्देश्य से एलडीसी के रूप में सेवा में उनकी पहली नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में एलडीसी की एक राज्य-वार वरिष्ठता सूची तैयार की। केरल राज्य में यह सेवा में उनकी नियुक्ति के लिए पीएससी द्वारा दी गई पहली तारीख से प्रभावी माना जाता है। स्थानांतरित एलडीसी की वरिष्ठता को उक्त सूची में एलडीसी के रूप में उनकी पहली नियुक्ति की तारीखों के संदर्भ में दिखाया गया था, न कि उस जिले में उनके स्वयं के

अनुरोध पर स्थानांतरित होने की तारीखों के संदर्भ में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें स्थानीय एलडीसी से पहले एलडीसी के रूप में भर्ती किया गया था, स्थानांतरित एलडीसी को स्थानीय एलडीसी से ऊपर रखा जाता। यदि स्थानांतरित एलडीसी की वरिष्ठता उस जिले में स्थानांतरण की तारीख के संदर्भ में तय की गई होती, जहां उन्हें स्थानांतरित किया गया था, तो उन्हें वरिष्ठता क्रम में सबसे नीचे रखा जाता तथा उनकी स्थिति/रैंक स्थानीय एलडीसी से नीचे होती।

5. उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 7.11.1984 के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा विचार कर केरल (संक्षेप में 'आईजी-रजि.') ज्ञापन दिनांक 6.4.1987 द्वारा 1.11.1983 को एलडीसी की राज्यवार वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिया गया। एलडीसी की उक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर, 22.2.1986 को यूडीसी की एक अनंतिम वरिष्ठता सूची भी तैयार की गई थी। सामान्य ज्ञापन दिनांक 9.12.1987 द्वारा एलडीसी की उक्त वरिष्ठता सूची और यूडीसी की अनंतिम वरिष्ठता सूची को उच्च न्यायालय के समक्ष ओ.पी. नंबर 4204/1990 में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 8.5.1990 के आदेश द्वारा आईजी-रजि. को याचिकाकर्ता द्वारा उसकी वरिष्ठता के पुन: निर्धारण के लिए दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देकर उक्त याचिका का निपटारा कर दिया।

6. इसके बाद, पंजीकरण महानिरीक्षक ने दिनांक 13.11.1990 को एलडीसी की संशोधित अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की। उक्त वरिष्ठता सूची में स्थानांतरित एलडीसी के पदों को उनके पुराने जिले में तब तक की गई सेवा को छोड़कर, नए जिले में शामिल होने की तारीख के संदर्भ में दिखाया गया था। स्थानांतरित एलडीसी ने उक्त बदलाव पर आपत्ति जताई। आपत्तियों को आईजी-रजि. ने खारिज कर दिया। अनंतिम सूची दिनांक 13.11.1990 एवं आईजी-रजि. द्वारा पारित आपत्तियों को खारिज करने के आदेश के विरूद्ध प्रतिस्पर्धी निजी प्रत्यर्थीगण और स्थानांतरित एलडीसी द्वारा ओपी नंबर 11194/1990 और अन्य समान रूप से संबंधित मामलों में चुनौती दी गई थी।

7. उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 24.3.1997 के आदेश द्वारा उक्त याचिकाओं का निपटारा इस प्रकार किया: (1) स्थानांतरित एलडीसी एलडीसी के रूप में नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि और उनकी वरिष्ठता के संदर्भ में वरिष्ठता के हकदार नहीं थे। एलडीसी के पद की गणना केवल नए जिले में उनके शामिल होने की तारीख से की जानी चाहिए, जहां उन्हें स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किया गया था: (ii) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एलडीसी की भर्ती जिले-वार थी, न कि राज्य-वार, स्थानांतरित एलडीसी यह तर्क नहीं दे सकते कि राज्य के सभी एलडीसी ने वरिष्ठता के उद्देश्य से एक इकाई का गठन किया है, न ही

उन्हें दिए गए नियमों से अधिक किसी लाभ का दावा कर सकते हैं; और (iii) दिनांक 13.11.1990 की अनंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती देने के योग्य भी नहीं थे। हालाँकि, चूंकि आईजी-रजि. ने स्थानांतरित एलडीसी द्वारा दायर आपत्तियों का निपटान एक तर्कसंगत आदेश द्वारा नहीं किया था, इसलिए एकल न्यायाधीश ने आईजी-रजि.न. को निर्देश दिया कि दिनांक 13.11.1990 की अनंतिम वरिष्ठता सूची के संबंध में प्राप्त उनकी आपत्तियों के साथ-साथ अन्य आपत्तियों, यदि कोई हो, पर विचार करे और प्रत्येक आपत्ति पर विचार करते हुए उचित आदेश पारित करे और वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि दिनांक 7.11.1984 की वरिष्ठता सूची के आधार पर की गई पदोन्नति, यदि कोई हो और आगे की पदोन्नति की समीक्षा वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाएगी, जिसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उक्त निर्देश के अनुपालन में आईजी-रजि. ने आपत्तियों पर पुनः विचार किया तथा दिनांक 22.9.1997 के आदेश द्वारा स्थानांतरित एलडीसी की आपत्तियों को खारिज कर दिया। उन्होंने उस आधार पर दिनांक 22.9.1997 को एलडीसी की अंतिम वरिष्ठता सूची भी जारी की।

8. इस बीच, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को स्थानांतरित एलडीसी द्वारा डब्ल्यूए सं. 1178/1997 और संबंधित अपीलों में चुनौती दी गई थी। राज्य की ओर से जी.ओ दिनांक 2.1.1961 एवं नियम 27 केरल राज्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 पर विश्वास जाहिर करते हुए अपीलों

का विरोध किया तथा यह तर्क दिया कि स्थानांतरित एलडीसी को नये जिले में कनिष्ठतम माना जावेगा एवं उक्त नियमों को लागू करते हुए ही दिनांक 22.09.1997 की सूची जारी की गई है। अपील की सुनवाई करने वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि जीओ दिनांक 2.1.1961 और नियम 27 को ध्यान में रखते हुए, स्थानांतरित एलडीसी की वरिष्ठता की गणना केवल उस जिले में उनके शामिल होने की तारीख से की जाएगी, जिसमें वे शामिल हुए हैं अथवा उनके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, यह महसूस किया गया कि वरिष्ठता सूची को 1984 में अंतिम रूप दिया गया था और स्थानांतरित एलडीसी की स्थिति में परिवर्तन नहीं की जानी चाहिए। यह माना गया कि जी.ओ. दिनांक 2.1.1961 और नियम 27(ए) का संभावित रूप से प्रभावी प्रावधान दिया जाना चाहिए। इसलिए निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ दिनांक 14.8.2002 के आदेश द्वारा स्थानांतरित एलडीसी द्वारा दायर अपील को अनुमति दी:

> "यह एक ऐसा मामला है जहां अंतर-जिला स्थानांतरण 1984 से पहले किए गए थे और उन सभी को एल.डी. क्लर्कों की अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल किया गया था, जिस तारीख से वे मूल जिले में ड्यूटी में शामिल हुए थे। हमारे विचार में इतने समायांतराल के पश्चात् इस स्थिति को बिगाड़ने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में

हम मानते हैं कि प्रथम व द्वितीय प्रत्यर्थीगण द्वारा अंतिम वरिष्ठता सूची कार्यालय सामान्य ज्ञापन संख्या E4-34154/84 दिनांक 7.11.1984 के संशोधन बाबत् दिया गया आदेश अवैध है। इस सूची के आधार पर दी गई पदोन्नति में कोई बाधा नहीं होगी तथा जीओ (एमएस) 4/61/पीडी दिनांक 2.1.1961 और केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों के सामान्य नियम 27 का प्रावधान केवल याचिकाकर्ताओं के पद और स्थिति को प्रभावित किए बिना प्रभावी रूप से लागू होगा। प्रदर्श पी.7 आदेश (आदेश वरिष्ठता सूची दिनांक 13.11.1990) रद्द किया जाता है। पक्षकारों के अधिकारों को तदनुसार विनियमित किया जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश का निर्णय रद्द किया जाकर, सभी रिट अपीलों और मूल याचिकाओं का निपटारा उपरोक्तानुसार किया जाता है।"

9. डिवीजन बेंच के उक्त आदेश को अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई है जो 'स्थानीय' एलडीसी हैं। उनका तर्क है कि प्रासंगिक नियमों और सरकारी आदेशों (जीओ) को ध्यान में रखते हुए, एक सरकारी कर्मचारी जो अपने अनुरोध पर एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित हो जाता है, वह पद पर भर्ती की प्रारंभिक तिथि से वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है,

लेकिन उस तारीख से वरिष्ठता का दावा कर सकता है जिस तारीख को उसे उसके स्वयं के अनुरोध पर नए जिले में स्थानांतरित किया गया है। परिणामस्वरूप, जब यूडीसी के पद पर पदोन्नति के लिए एलडीसी की एक सामान्य राज्य-वार वरिष्ठता सूची तैयार की जाती है, तो स्थानांतरित एलडीसी की रैंक तय की जाती है। उनके स्वयं के अनुरोध पर नए जिले में उनके स्थानांतरण की तारीख के संदर्भ में दिखाया जाना चाहिए, न कि उस तारीख के संदर्भ में जब उन्हें शुरू में एलडीसी के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका तर्क है कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने उक्त कानूनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है, उनके पास उस जी.ओ. दिनांक 2.1.1961 और नियमों के नियम 27 (ए) को संभावित रूप से लागू करने का निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है। उनका कहना है कि डिवीजन बेंच ने माना है कि एलडीसी का तबादला कर दिया गया है। नियमों के अनुसार, उन्हें सबसे कनिष्ठ स्थानीय एलडीसी से नीचे रैंक लेना चाहिए, उन्होंने उक्त निष्कर्ष को प्रभावी नहीं करने में त्रुटि की है।

10. प्रस्तुत तर्कों पर निम्नलिखित दो बिंदु विचारार्थ आते हैं:

(i) क्या स्थानांतरित एलडीसी (स्वयं के अनुरोध पर उसी विभाग में किसी अन्य इकाई (जिला) में स्थानांतरित) की वरिष्ठता की गणना पद पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए या उस तारीख से जिस दिन

उन्हें नए जिले में स्थानांतरित किया गया था। क्या निचला पद (एलडीसी) जिला-वार पद है और पदोन्नति पद (यूडीसी) राज्य-वार पद है, इससे स्थिति में कोई फर्क पड़ेगा ?

(ii) क्या डिवीजन बेंच का यह मानना उचित था कि दिनांक 2.1.1961 का जीओ और नियमों के नियम 27(ए) का प्रावधान केवल स्थानांतरित एलडीसी के मामले में आगामी रूप से लागू किया जाना चाहिए। (अर्थात डिवीजन बेंच के फैसले की तारीख से), जिससे उक्त नियमों और जीओ के विपरीत, स्थानांतरित एलडीसी को पिछली सेवा (प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से स्थानांतरण की तारीख तक) का लाभ दिया जा रहा है और इनकार किया जा रहा है। स्थानीय लिपिकों को वरिष्ठता सूची में उच्च पद का लाभ मिलेगा ?

पुन: बिंदू सं1:

11. सेवा न्यायशास्त्र में, सामान्य नियम यह है कि यदि किसी विशेष पद पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी को उसी कैडर में उसी पद पर स्थानांतरित किया जाता है, तो स्थानांतरण से स्थानांतरण की तारीख तक पद पर उसकी सेवा की अवधि समाप्त नहीं होगी और स्थानांतरित पद पर वरिष्ठता की गणना करते समय उसके स्थानांतरण से पहले पद पर सेवा

की अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन जहां एक सरकारी कर्मचारी को उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित कर्मचारी को स्थानांतरण की तारीख तक अपनी वरिष्ठता छोड़नी होगी, और नए कैडर या विभाग में श्रेणी में सबसे कनिष्ठ कर्मचारी से नीचे रखा जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी को अपने व्यक्तिगत कारणों से किसी अन्य इकाई या विभाग में स्थानांतरित किया जा रहा है, उसे उस विभाग में कर्मचारियों की वरिष्ठता को भंग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसमें यह दावा किया गया है कि उसकी सेवा उस विभाग में है जहां से उसे स्थानांतरित किया गया है। स्थानांतरित किया गया, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि किसी कैडर में किसी विशेष पद पर नियुक्त व्यक्ति को कैडर की संख्या और कैडर के लिए तैयार की गई वरिष्ठता सूची के आधार पर पदोन्नति की संभावनाओं का पता होना चाहिए और बाहर से किसी भी तरह की नियुक्ति ऐसी संभावनाओं को बाधित नहीं कर सकती है। हालाँकि, यह मामला संबंधित सेवा नियमों द्वारा शासित है।

12. हम आगे इस विषय से संबंधित प्रासंगिक नियमों और शासनादेशों का उल्लेख कर सकते हैं। केरल राज्य में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा केरल लोक सेवा अधिनियम, 1968 द्वारा शासित होती है। धारा 3 में प्रावधान हैं कि अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए

गए सभी नियम सरकारी सेवा में नियुक्त और लागू व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करते हैं। 17.9.1968 से ठीक पहले, उक्त अधिनियम के तहत बनाया गया माना जाएगा और तब तक लागू रहेगा जब तक कि उन्हें अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है। केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम, 1958 ("संक्षिप्त रूप से नियम) अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके बनाए गए थे। उक्त वैधानिक नियम सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता और स्थानांतरण को नियंत्रित करते थे। उक्त नियम, जैसा कि वे मूल रूप से थे, 'स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण' पर लागू नहीं होते हैं और उनका कोई परिणाम नहीं है।

12.1. राज्य सरकार ने केरल लोक सेवा आयोग (पीएससी') के परामर्श से दिनांक 2.1.1961 को एक जीओ जारी किया, जिसमें उन शर्तों को निर्धारित किया गया जिनके अधीन सरकारी कर्मचारियों का एक ही विभाग के भीतर एक इकाई से दूसरे इकाई में पारस्परिक या अंतर-विभागीय स्थानांतरण होता है या एक ही अधीनस्थ सेवा के भीतर एक विभाग से दूसरे विभाग में, संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध पर आदेश दिया जा सकता है। प्रासंगिक दो शर्तें नीचे दी गई हैं:

> "(1) नई इकाई में स्थानांतरित व्यक्ति नई इकाई या विभाग में श्रेणी में कनिष्ठतम से नीचे रैंक लेगा। उसे अपनी पिछली

सेवा को वरिष्ठता में गिनने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे स्थानांतरण वैध हित के लिए प्रतिकूल नहीं होने चाहिए जिस विभाग में उसका स्थानांतरण किया गया है, उसमें किसी ओर का भी। लेकिन उसे अपनी पिछली सेवा को वेतन वृद्धि, छुट्टी, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है। यदि उसने पहले ही परिवीक्षा पूरी कर ली है, तो उसे नई परिवीक्षा से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी।

XXXXXXXX

(4) प्रशासनिक कारणों से एक विभाग से दूसरे विभाग में या एक ही विभाग में एक इकाई से दूसरे में स्थानांतरित किए गए व्यक्तियों के सभी अधिकार पुरानी इकाई या विभाग में बने रहेंगे, जैसा भी उनका मामला हो।"

12.2. राज्य सरकार ने लोक सेवा आयोग के परामर्श से, जिला स्तर पर निचले मंत्रालयिक संवर्गों में भर्ती के लिए 27.5.1971 को एक और जी.ओ. जारी किया। उक्त जीओ ने निर्देश दिया कि जिला भर्ती बोर्डों के माध्यम से जिला स्तर पर भर्ती निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जाएगी-

"(i) निरंतर सेवा प्रारंभ होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) ऐसे अंतर-जिला स्थानांतरण की अनुमति केवल पांच साल के बाद और जी.ओ. एमएस क्रमांक 4/पीडी दिनांक 2-1-61. में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी।

XXXXXXXX

(iv) यह मौजूदा प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा जहां राज्य-वार पदोन्नति शामिल है।"

12.3. वरिष्ठता से संबंधित नियमों के नियम 27 को जी.ओ. दिनांक 13.1.1976 (3.2.1976 को राजपत्रित) द्वारा संशोधित किया गया था, जिसमें खंड (ए) में एक प्रावधान शामिल किया गया था, जिसमें 'अनुरोध पर' स्थानांतरण के परिणामों का प्रावधान किया गया था। उक्त परंतुक के नोट में कहा गया है कि संशोधन 28.12.1960 से लागू हुआ माना जाएगा। संशोधित नियम 27 के प्रासंगिक भाग नीचे दिए गए हैं:

"27. वरिष्ठता.-(ए) किसी सेवा, वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में किसी व्यक्ति की वरिष्ठता, जब तक कि उसे सजा के रूप में निचली रैंक पर नहीं भेज दिया गया हो, उसकी पहली

नियुक्ति के आदेश की तारीख से सेवा, वर्ग, श्रेणी या ग्रेड निर्धारित की जाएगी।

XXXXXXXX

बशर्ते कि पारस्परिक या अंतर-इकाई या अंतर-विभागीय स्थानांतरण पर एक ही विभाग के भीतर या एक विभाग से दूसरे विभाग में, जैसा भी मामला हो, ऐसे व्यक्तियों के अनुरोध पर व्यक्तियों की वरिष्ठता नई इकाई या विभाग में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीखें के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।"

12.4. जहां तक 'स्वयं अनुरोध स्थानांतरण' के संबंध में 2.1.1961 और 27.5.1971 के सरकारी आदेशों में निहित कार्यकारी निर्देशों को एक संशोधन द्वारा वैधानिक सेवा नियमों में प्रावधान किए जाने के बाद लागू करना बंद हो गया। नियमों के नियम 27 (ए) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि एक ही विभाग के भीतर या किसी अन्य विभाग में अपने स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता नये विभाग में उसके ड्यूटी में शामिल होने की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। यह प्रावधान सामान्य नियम (नियम 27 के खंड (ए) में निहित) का अपवाद है कि किसी व्यक्ति की वरिष्ठता उसकी पहली नियुक्ति के आदेश की तारीख से निर्धारित की जाएगी।

13. निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं: (i) प्रतिस्पर्धा करने वाले निजी प्रत्यर्थीगण स्थानांतरित एलडीसी हैं जिन्हें उनके स्वयं के अनुरोध पर उसी जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित कर दिया गया था जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था। (ii) अपीलकर्ता मौजूदा कर्मचारी हैं, यानी उस जिले के उक्त विभाग के स्थानीय एलडीसी, जहां स्थानांतरित एलडीसी को स्थानांतरित किया गया था। (iii) स्थानांतरित एलडीसी (प्रतिभागी/प्रत्यर्थीगण) एलडीसी के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में अपीलकर्ताओं से वरिष्ठ थे। लेकिन जिस तारीख को उन्हें नए जिले में स्थानांतरित किया गया था, उसके संदर्भ में, वे स्थानीय एलडीसी (अपीलकर्ता) के कनिष्ठ बन गये। जब सेवा नियमों के नियम 27 (ए) के प्रावधान को लागू किया जाता है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच द्वारा सही माना गया है, स्थानांतरित एलडीसी की वरिष्ठता को केवल उनके ड्यूटी में शामिल होने की तारीख से गिना जाना चाहिए। नई इकाई (या जिला) और वे अपने अनुरोध पर स्थानांतरण की तारीख से पहले अपनी सेवा की गणना करने के हकदार नहीं हैं।

14. स्थानांतरित एलडीसी (विरोधी निजी प्रत्यर्थी) तर्क दिया कि दिनांक 27.5.1971 के जीओ में कहा गया है कि यह मौजूदा प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा जहां राज्य-वार पदोन्नति शामिल है। उनका कहना है कि हालांकि एलडीसी के पद जिले-वार हैं, चूंकि एलडीसी से यूडीसी में

पदोन्नति राज्य-वार है, दिनांक 2.1.1961 के जी.ओ. के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जी.ओ. दिनांक 27.5.1971 के खंड (iv) के मद्देनजर यह जांचना अनावश्यक है कि क्या 27.5.1971 के जी.ओ. का खंड (iv) 2.1.1961 के जी.ओ. की प्रयोज्यता को बाहर करता है, क्योंकि न तो 27.5.1971 का जी.ओ. और न ही 2.1.1961 का जी.ओ. स्वयं के अनुरोध के हस्तांतरण के प्रभाव को नियंत्रित करता है। सेवा नियमों के नियम 27(ए) में संशोधन के बाद 'स्वयं के अनुरोध' हस्तांतरण के परिणामों के लिए एक प्रावधान पेश करके संशोधन किया गया। जहां वैधानिक नियम क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, पूर्व कार्यकारी निर्देश लागू नहीं होते हैं।

15. स्थानांतरित एलडीसी द्वारा इसके बाद प्रस्तुत किया गया कि नियम 27 के खंड (ए) का प्रावधान नियम 27 के खंड जी (सी) में निहित प्रावधान (बाह्यकरण) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं होगा, जो इस प्रकार है: -

> [सी] उपरोक्त खंड (ए) और (बी) में निहित किसी भी बात के बावजूद, आयोग की सलाह पर किसी सेवा में किसी वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता तब तक नहीं रहेगी, जब तक कि उसे दंड के रूप में निचली रैंक पर नहीं भेज दिया गया हो। ऐसे वर्ग, श्रेणी या ग्रेड पर उसकी नियुक्ति के लिए की गई पहली प्रभावी नियुक्ति की तिथि

निर्धारित की जाएगी और जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति दिए गए उम्मीदवारों की एक ही सूची में शामिल किया जाता है, तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता क्रम के अनुसार तय की जाएगी जिससे उनके नाम नियुक्ति सूची में व्यवस्थित हो जाएं।"

खंड [सी] को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि इसने किसी भी तरह से जी.ओ. दिनांक 13.1.1976 के संशोधन द्वारा डाले गए नियम 27 के खंड (ए) के प्रावधान की सामग्री को प्रभावित नहीं किया। नियम 27 के खंड (ए) में प्रावधान है कि किसी सेवा, वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में किसी व्यक्ति की वरिष्ठता ऐसी सेवा, वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में उसकी पहली नियुक्ति के आदेश की तारीख से निर्धारित की जाएगी। खण्ड (बी) में प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को एक साथ किसी सेवा में नियुक्त करने का आदेश पारित करते समय उनके बीच वरीयता क्रम तय करेगा और उसके अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। खंड [सी] ने यह स्पष्ट कर दिया कि खंड (ए) और (बी) में किसी भी बात के बावजूद, जहां किसी व्यक्ति को आयोग की सलाह पर किसी सेवा में किसी वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में नियुक्त किया जाता है, ऐसे व्यक्ति की वरिष्ठता होगी ऐसे वर्ग, श्रेणी या ग्रेड में उसकी नियुक्ति के लिए की गई पहली प्रभावी नियुक्ति की तिथि द्वारा निर्धारित किया जाता है और जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों को

नियुक्ति दिए गए उम्मीदवारों की एक ही सूची में शामिल किया जाता है, तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता उस क्रम के अनुसार तय की जाएगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति सूची में व्यवस्थित हों। खंड [सी] का प्रभाव उस तारीख को स्पष्ट करना है जिसके संदर्भ में पीएससी की सलाह पर शुरू में नियुक्त किए जाने पर वरिष्ठता की गणना की जानी चाहिए। इसका मतलब केवल यह है कि जहां नियुक्तियां पीएससी द्वारा प्रकाशित चयन सूची से होती हैं, उनकी वरिष्ठता पीएससी द्वारा ऐसी नियुक्ति के लिए की गई पहली प्रभावी नियुक्ति से मानी/निर्धारित की जाएगी, न कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति की वास्तविक तारीख से। इसलिए खंड [सी] का उस प्रावधान पर कोई प्रभाव या अनुप्रयोग नहीं है जो बाद के 'स्वयं के अनुरोध' हस्तांतरण को नियंत्रित करता है।

16. स्थानांतरित एलडीसी ने आगे कहा कि यह प्रावधान करने का इरादा कि 'स्वयं के अनुरोध' पर स्थानांतरण पर एक व्यक्ति को नए जिले या नई इकाई में सबसे कनिष्ठ के रूप में स्थान दिया जाएगा, यह सुनिश्चित करना है कि मौजूदा कर्मचारियों की वरिष्ठता नई इकाई या जिले में स्थानांतरण द्वारा बाहर से आने वाले वरिष्ठ व्यक्ति से श्रेणी प्रभावित नहीं होती है। यह तर्क दिया गया है कि जहां पदोन्नति पद राज्य-वार है, उस जिले में मौजूदा कर्मचारियों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी जहां बाहरी कर्मचारी को स्थानांतरित किया गया है और जहां पदोन्नति राज्य-वार पद

पर है। नियम 27(ए) का प्रावधान, जिसके तहत स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित होने वालों को अपनी वरिष्ठता छोड़ने की आवश्यकता होती है, लागू नहीं होगा। हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि किसी प्रावधान के पीछे कथित मंशा, प्रावधान के व्यक्त शब्दों को विफल करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। एक बार कोई वैधानिक नियम बन जाने के बाद, कोई अपवाद प्रदान किए बिना, न्यायिक व्याख्या द्वारा ऐसे नियम में अपवाद बनाना संभव नहीं है। न ही कठिनाई या इसी तरह के कारणों के आधार पर स्पष्ट और विशिष्ट नियम के आवेदन से छूट का दावा किया जा सकता है। नियमों के नियम 27(ए) का प्रावधान स्पष्ट है और स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किये गये सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। यह उन कर्मचारियों के बीच अंतर नहीं करता है जिनका पदोन्नति पद राज्य-वार पद है और उन कर्मचारियों के बीच जहां पदोन्नति पद जिला-वार पद है।

17. प्रत्यर्थीगण के विद्वान वकील ने अंततः प्रस्तुत किया कि अब तक अपीलकर्ताओं और प्रत्यर्थीगण को एलडीसी के पदों से यूडीसी के पद पर पदोन्नत किया गया है और उनमें से कई को उप-रजिस्ट्रार के रूप में भी पदोन्नत किया गया है और इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। इतने लंबे समय के मामला लंबित है। हमने पाया कि यह मामला

1990 से लगातार मुकदमेबाजी में है और निपटान में देरी अपीलकर्ताओं के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती है।

पुन: बिंदू सं. 2:

18. डिवीजन बेंच ने यह माना कि स्थानांतरित एलडीसी जिस जिले में स्थानांतरित किए गए थे, उस श्रेणी में कनिष्ठतम रैंक से नीचे रैंक लेंगे, यह नहीं माना जा सकता था कि 7.11.1984 को तैयार की गई वरिष्ठता सूची (गलत तरीके से स्थानांतरित एलडीसी को वरिष्ठता दे रही है) एलडीसी के रूप में प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख) से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और नियम 27(ए) के प्रावधानों को संभावित रूप से प्रभावी किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के पास यह निर्देश देने की कोई शक्ति नहीं है कि एक नियम जो कई वर्षों से लागू है, केवल भावी रूप से संचालित किया जाएगा, वह भी ऐसी कार्यवाही में जहां नियम की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी।

निष्कर्ष:-

19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि संशोधित वरिष्ठता सूची दिनांक 13.11.1990 और 22.9.1997 है जिसके तहत स्थानांतरित एलडीसी (अंतर-जिला स्थानांतरित) की वरिष्ठता की गणना

केवल नए जिले में शामिल होने की तारीख से की जाती है, सिवाय इसके कि पिछली सेवा उचित है और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

20. तदनुसार ये अपीलें स्वीकार की जाती हैं। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय जो इस हद तक अपास्त किया जाता है कि जी.ओ. दिनांक 2.1.1961 और नियमों के नियम 27 (ए) का प्रावधान भावी रूप से लागू होगा और दिनांक 7.11.1984 की वरिष्ठता सूची के संदर्भ में की गई पदोन्नति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। स्थानांतरित एलडीसी द्वारा दायर की गई रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं तथा वरिष्ठता सूची दिनांक 13.11.1990 एवं 22.9.1997 को प्रभावशील किये जाने के फलस्वरूप स्थानान्तरित एल.डी.सी. के पद में परिवर्तन होने की प्रतिकूल परिस्थिति में हम निर्देश देते हैं कि अधिक भुगतान के आधार पर उनसे कोई परिणामी वसूली नहीं की जाएगी।

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरूण कुमार अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।